न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 126/2023

अनवान : –

1. श्योकत अली पुत्र बाग अली जाति अराई निासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. अकरम पुत्र अब्दुल सलाम जाति अराई निवासी ढाणी अराई तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3.

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 07/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 7.830 हैक्ट भूमि में 470/7083 हिस्सा भूमि अब्दुल सलाम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा गैरसायल संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि का इकरारनामा दिनांक 07.09.2024 को लिखवा दिया।

अकरम पुत्र अब्दुल सलाम ने मुताबिक इकरारनामा के अनुसार हनीफ पुत्र मेहरदीन को बैयनामा नही करवा। हनी पुत्र मेहरदीन ने सिविल न्यायालय में इकरारनामा के आधार पर वाद पेश किया एवं सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.16 को वाद वादी डिक्री कर दिया गया एवं माननीय सिविल न्यायालय द्वारा हनीफ पुत्र मेहरदीन जाति अराई के पक्ष में निष्पादित कर दिया।

हनीफ पुत्र मेहरदीन जाति अराई साकिन ढाणी अराईयान ने दिनांक 07.07.2021 को अपने नाम दर्ज चल व अचल सम्पति की वसीयत सायल के पक्ष में करवा दी। हनीफ पुत्र मेहरदीन का दिनांक 22.05.2022 को देहांत हो चुका है। वाद भूमि का मुताबिक वसीयत सायल खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अब्दुल सलाम के नाम दर्ज होने से गैरसायल स0 1 रहन बैय करना चाहता है। अतः गैरसायल संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 7.830 हैक्ट भूमि मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। सायल द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया [illegible] उक्त भूमि पर रहन मुक्त होने की हद तक स्थगन निष्प्रभावी किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील प्रार्थी, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको की घोषणा एवं खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 7.830 हैक्ट भूमि में 470/7083 हिस्सा भूमि अब्दुल सलाम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सिविल न्यायालय द्वारा 19.09.2016 को जारी डिक्री के अनुसार हनीफ पुत्र मेहरदीन के पक्षम में डिक्री किया गया है। वसीयतनामा की चित्रप्रति के अनुसार हनीफ खां द्वारा सायल के पक्ष में वसीयत की गई है। सायल ने निवेदन किया है की उक्त भूमि के रहन मुक्त की हद तक स्थगन निष्प्रभावी किया जावे। अतः प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी आशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः वाद भूमि को बेचान करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 120/120 की कुल 7.830 हैक्ट भूमि के ताफैसला वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी स0 1 बेचान करने से निषिद्ध रहे एवं उक्त स्थगन केसीसी पर लागू नही होगा। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:56 IST
Reason: SelfAttested